FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 28)

अज अदालत –उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर वमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान

विजयकुमार पुत्र भंवरलाल महाजन जाति जैन वगै. वनाम कमला जैन पत्नि नेमीचन्द जाति महाजन वगै.
सा. श्यामगढ़ तह. नावां सा. श्यामगढ़ तह. नावां

किस्म कुमदमां : 212 आरटीए मुकदमां नम्बर 0255/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
30.12.2022	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हरिराम गुर्जर ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के हक में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण के जवाब पेश करने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि राजस्व ग्राम श्यामगढ़ के खसरा नम्बर 1244/814, 1245/813, 692, 693, 694, 695 कुल रकवा 16.54 हैक्टर भूमि का बिना विधिवत बंटवारा बैचान/हस्तानांतरण नहीं करे एवं मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इस आशय की अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। रास्ते/प्रचलित रास्ते के प्रावधान में यह अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो तो नियत तिथि को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 06.02.2023 को पेश हो। (अंशुल सिंह) उपखण्ड अधिकारी, नावां	
24/1/23	पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रा० पत्र प्रस्तुत करने पर आज पेश हुई। प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रा० पत्र में उभयपक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है इसलिए आज ही तलबी कर अर्जी विड्रोल खारिज किया जावें। अतः प्रार्थीगण के अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थीगण का [illegible] विड्रोल खारिज किया [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.02.22 13:04:45 IST
Reason: SelfAttested